प्रेस विज्ञप्ति थाना कोत0 गुरसहायगंज जनपद कन्नौज दिनांक 17.07.2021

पुलिस को खुली चुनौती देती हुई खाद व्यापारी के अपहरण की सनसनीखेज घटना का उच्चाधिकारियों के कुशल नेतृत्व में एस0ओ0जी0 एवं जनपदीय पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण, अपहृत खाद एवं बीज व्यापारी व उसके कर्मचारी की सकुशल बरामदगी, घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार एवं अपहृण करने वाले गैग के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.07.2021 को सांय 07:30 बजे थाना क्षेत्र गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के खाद एवं बीज व्यवसायी विकास गुप्ता को खाद खरीदने के बहाने फोन कर दुकान में बुलाकर अज्ञात असलाहधारी बदमा ों द्वारा विकास गुप्ता एवं उसके कर्मचारी असलम का जबरन अपहरण कर बोलेरो से ले भागने तथा बाद में फोन कर परिजनों से 30 लाख रूपयो की फिरौती मांगने की सनसनीखेज घटना के खुलासे हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री प्रशान्त वर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक डा0 अरविन्द कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव प्रताप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी तिर्वा श्री दीपक दुबे के संयुक्त नेतृत्व में एस0ओ0जी0 टीम/स्वाट टीम/सर्विलान्स टीम एवं थाना गुरसहायगंज तथा थाना छिबरामऊ टीम को लगाया गया, घटना की गम्भीरता को देखते हुए उल्लेखनीय व्यवसायिक दक्षता एवं अथक परिश्रम के परिणाम स्वरुप 24 घण्टे के अन्दर ही आज दिनांक 17.07.2021 को अपहृत दोनो व्यक्तियों की अभियुक्तगणो के कब्जे से सकु ाल बरामदगी करते हुए गंगा कटरी क्षेत्र से अभियुक्त एवं मास्टर माइन्ड राममिस्टर, पंकज राठौर एवं भूपेन्द्र को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार बरामद की गयी। अभियुक्तगणों को मु0अ0सं0–384/21 धारा–364 ए/323/420/467/468/120 बी भादवि थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज से जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–राममिस्टर यादव पुत्र मोतीलाल नि0 नगला दुर्ग थाना फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद।
2–भूपेन्द्र यादव पुत्र सहवीर सिंह नि0 कडीली थाना नबाबगंज जनपद फर्रुखाबाद।
3–पंकज राठौर पुत्र भारत सिंह नि0 ग्राम धनसुआ थाना व जनपद फतेहगढ।
4–सुमित कुमार यादव पुत्र क्षत्रपाल नि0 रमपुरा थाना व जनपद फतेहगढ।

बरामदगीः–

1–घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार यूपी–76 एस–4111

पूछताछ का विवरणः– अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक नाजयज गैग है तथा हम लोग गंगा कटरी के किनारे रहते है, जहां पर आम व्यक्तियों का आना जाना न के बराबर होता है, और बहुत दूर तक सन्नाटा पसरा रहता है, जिसका फायदा उठाकर हम लोग किसी पैसे वाले व्यक्ति को चिन्हित कर उसका अपहरण कर इसी गंगा की कटरी में ले आते और उन्हे अपने गैग के सदस्यों की मदद से एक झाडियों (पतेल) के बीच में बांधकर रखते है तथा दूसरी टीम मोबइल के माध्यम से अपहृत के परिजनों से फिरौती की मांग करते है सबकुछ ठीक रहने पर अपहृत को छोडते है अन्यथा अपहृत की हत्या कर फेक भी देते है। अपहरण करने के लिए व्यक्तियो को चिन्हित करने में अक्सर अपहृत के स्थानीय व्यक्तियों की मदद भी लेते है, जिससे अपहृत की हैसियत व व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।

आपराधिक इतिहासः–

राममिस्टर पुत्र मोतीलाल नि0 नगला दुर्ग थाना फतेहगढ का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्व विभिन्न धाराओं में 36 आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1–निरीक्षक रणजीत राय प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद कन्नौज।
2–प्रभारी निरीक्षक टी0पी0 वर्मा थाना गुरसहायगंज ।
3–प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना छिबरामऊ।
4–उ0नि0 विकम सिंह जनपद कन्नौज।
5–उ0नि0 राकेश कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कन्नौज।
6–है0का0 233 करन सिंह सर्विलांस सेल
7–है0 का0 235 ना0पु0 कुलदीप यादव साईबर सेल जनपद कन्नौज।
8–है0का0 ना0पु0 प्रवीन कुमार स्वाट टीम जनपद कन्नौज
9–है0का0 196 ना0पु0 सुधीर कुमार स्वाट टीम जनपद कन्नौज
10–है0का0 मदन कुमार स्वाट टीम जनपद कन्नौज
11–है0का0 296 तेज प्रताप सिंह सर्विलान्स टीम जनपद कन्नौज
12–है0का0 191 मनोज यादव थाना इन्दरगढ
13–का0 766 दुष्यन्त यादव स्वाट टीम जनपद कन्नौज
14–का0 746 आदित्य पटेल स्वाट टीम जनपद कन्नौज

नोट–पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री प्रशान्त वर्मा द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं घटना के सफल अनावरण पर सर्विलांस टीम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी है